भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4702

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एचएमपीवी का संक्रमण

†4702. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विश्व के विभिन्न भागों में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के फैलने की रिपोर्टों के प्रत्युत्तर में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) देश में एचएमपीवी संक्रमण के दर्ज मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है; और
(ग) क्या सरकार की योजना देश में एचएमपीवी के प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता अभियान या अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप में तेजी लाने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) मामलों के फैलने की निगरानी और नियंत्रण के लिए तथा ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के लक्षणों और रोकथाम संबंधी कार्यनीतियों के बारे में अभियानों के माध्यम से जन जागरूकता सृजन के लिए कई उपाय किए हैं। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

6 जनवरी, 2025 से 24 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान भारत में रिपोर्ट किए गए ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक - I

"एचएमपीवी संक्रमण" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4702 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

एचएमपीवी स्थिति की नियमित निगरानी के लिए 6 जनवरी, 2025 से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) में जन स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र (पीएचईओसी) को सक्रिय कर दिया गया है। सिचुएशनल रिपोर्ट (एसआईटीआरईपी) को संबंधित स्टेकहोल्डरों के साथ साझा किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सतर्क रहने और सकारात्मक नमूनों की जांच और अनुक्रमण के लिए अस्पताल में भर्ती एसएआरआई रोगियों के श्वसन नमूने निर्दिष्ट वायरस अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशालाओं (वीआरडीएल) को भेजने की सलाह दी गई है।

आईसीएमआर और आईडीएसपी दोनों नेटवर्कों के माध्यम से भारत में इन्फ्लूएंजा जैसे रोग (आईएलआई) और गंभीर तीव्र श्वसन रोग (एसएआरआई) के लिए एक सुदृढ़ निगरानी प्रणाली पहले से ही मौजूद है।

राज्यों को सलाह दी गई है कि वे सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और वायरस के संचरण की रोकथाम के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सरल उपाय जैसे कि साबुन और पानी से हाथ धोना; बिना धुले हाथों से उनकी आंख, नाक या मुंह को छूने से बचना; उन लोगों के साथ निकट संपर्क से बचना जिनमें बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं; खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को ढकना आदि शामिल है।

सरकार ने देश भर में तत्परता ड्रिल का संचालन किया और यह पता चला कि श्वसन संबंधी बीमारियों में मौसम के परिवर्तन से बढ़ने वाले रोगों से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली पर्याप्त रूप से तैयार है।

सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस), विभिन्न हितधारकों के साथ संयुक्त निगरानी समूह के स्तर पर कई बैठकें आयोजित की गईं और भारत में श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति और एचएमपीवी मामलों के बारे में स्थिति की समीक्षा की गई। हितधारकों में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, डीजीएचएस, राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और अधिकारी, आईडीएसपी, एनसीडीसी, आईसीएमआर, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान और आईडीएसपी की राज्य निगरानी इकाइयों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

राज्यों को आईएलआई/एसएआरआई निगरानी को सुदृढ़ करने और समीक्षा करने की सलाह दी गई है।

अनुलग्नक- II

"एचएमपीवी संक्रमण" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4702 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र-वार ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के सूचित किए गए मामले अवधि: 6 जनवरी से 24फरवरी, 2025 तक (स्रोत: आईएचआईपी/आईडीएसपी)		
क्र.सं.	**राज्य**	**मामले**
1	कर्नाटक	2
2	गुजरात	11
3	महाराष्ट्र	2
4	तमिलनाडु	31
5	उत्तर प्रदेश	2
6	दिल्ली	6
7	हरियाणा	1
8	राजस्थान	2
9	पुदुचेरी	13
10	असम	15
11	छत्तीसगढ़	1
12	पंजाब	4
कुल		**90**

*****